# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 28 / 2019

## उनवान

1. लालाराम
2. पोखर
3. रायचन्द पि0 ओंकार उर्फ उंकार
4. कमला पत्नी रामरतन
5. प्रहलाद
6. कौशल
7. तुलसी
8. कालू
9. टिकूं पि0 रामरतन जाति कहार निवासी ग्राम बालद का दडा, श्रीनगर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

**बनाम**

1. प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम श्रीनगर हाल निवासी ममता मिष्ठान भण्डार के सामने, शास्त्री नगर, अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित
2 जरियें राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

---

दिनांक :– 31.5.22

### –: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीनगर के चौसाला खसरा नम्बर 3111, 3112, 3120, 3121, 4111, 3137, 3150, 3203, 3212, 3752, 3758, 3974, 4050, 3151 की आराजी वादीगण के पिता / दादा / ससुर ओंकार उर्फ उंकार पुत्र लाखा ने मदनलाल पुत्र बालूराम जाति महाजन नि0 श्रीनगर, अजमेर से जरियें विक्रय पत्र क्रय की थी। विक्रीत करने के बाद विक्रेता व क्रेता के मध्य इकरार हुआ था कि बेनामा की उक्त राशि क्रेता को वापिस [illegible] दी जावेगी तो विक्रेता अपनी राशि लेकर क्रेता के हक में रजिस्ट्री बेनामा करता हुआ कब्जा व द[illegible]गा। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 959 दिनांक 25.05.1[illegible] को दर्ज [illegible] किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी ग[illegible] चौसाला खसरा नम्बर 4111, 3150, 3752 के हाल खसरा नम्बर 5245 / 8574 रकबा 0.20, 2[illegible] रकबा 0.19, 4269 र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

4269/7336 रकबा 0.27 की आराजी वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करने के बजाय तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराज वीगण के नाम दर्ज बाबत सहमती पत्र नोटेरीशुदा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष दिनांक 07.09.218 को पेश या है अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित कया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 2 राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

उभयपक्ष ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण के पूर्वज नारायण व उंकार पि0 लाखा ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र चौसाला खसरा नम्बर 4111, 3150 व 3752 व अन्य आराजी का विकय मदनलाल पुत्र बालूराम को 30.08.1968 को किया था। दिनांक 10.06.1981 को मदनलाल पुत्र बालूराम ने उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र पुनः लालाराम, रामरतन, पोखर, रायचन्द पुत्र औंकार को विकय कर दी। उक्त विकय पत्र में अन्य खसरा नम्बर का नामान्तकरण केतागण के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 4111, 3150 व 3752 का नामान्तकरण दर्ज नही किया तथा हाल राजस्व अभिलेख्स में हाल खसरा नम्बर 5245/8574 रकबा 0.20, 2937 रकबा 0.19, 4269 रकबा 0.26 व 4269/7336 रकबा 0.27 की आराजी वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ने आरारजी मुतनाजा में अपना हिस्सा केतागण के नाम दर्ज करने बाबत 50/ के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 07.09.2018 को सहमती पत्र पेश किया था। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत बैचान करने के बाद प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। पंजीकृत विकय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

अतः ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2937 रकबा 0.19, 4269 रकबा 0.27, 4269/7336 रकबा 0.27, 5245/8574 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आदेश की प्रति सर्व सम्बन्धित को जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

**उनवान**

लालाराम बनाम प्रेमचन्द

दावा बावत :— 88 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 28/2019
पेश करने की दिनांक — 07.03.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई रा.ज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2937 रकबा 0.19, 4269 रकवा 0.27, 4269/7336 रकबा 0.27, 5245/8574 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

आज बतखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 5 सन् 2022 को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद